गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर

जीबीयू–002/प्रशा./2.3/2024–417 दिनाँकः 14 मार्च, 2024

:: सूचना ::

विश्वविद्यालय प्रबन्ध बोर्ड की 36वीं बैठक दिनांक 15.01.2024 के मद संख्या–36.15.08 में शिक्षणेत्तर अधिकारियों/कर्मचारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (A.C.P)/पदोन्नती विषयक गठित समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

तद्क्रम में सक्षम स्तर द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित प्रतिष्ठान के शिक्षणेत्तर अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित करना है कि गठित समिति की संस्तुतियों के Guidelines से विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षणेत्तर अधिकारियों/कर्मचारियों को संसूचित कराये जाने के उद्देश्य से Annexure-1 संलग्न कर प्रस्तुत हैं।

उक्त के आलोक में सभी शिक्षणेत्तर अधिकारियों/कर्मचारियों से अपेक्षित है कि संलग्न प्रारूप के अनुसार घोषणा पत्र (Declaration Annexure-2) भरकर दिनांक 30 मार्च, 2024 तक अधिष्ठान प्रकोष्ठ में अवश्य प्रस्तुत करें।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. मा0 कुलपति महोदय के कार्यालय को महोदय के संज्ञानार्थ।
2. समस्त शिक्षणेत्तर अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुपालनार्थ
3. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से कि उक्त आदेश को समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों की ई–मेल पर प्रेषित करने हेतु।
4. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

(Annexure-1)

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश संख्या-जी.बी.यू.-002/प्रशा./2.1/2023-4972 दिनांक 05 जून, 2023 के माध्यम से विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर अधिकारियों/कर्मचारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन/विभागीय प्रदोन्नती प्रदान किये जाने हेतु समिति का गठन किया गया था। गठित समिति द्वारा विभिन्न दिवसों में बैठक करते हुए अपनी संस्तुतियां प्रेषित की गयी। विवरण निम्नानुसार हैः-

1. विश्वविद्यालय अध्यादेश में पदोन्नती के लिए कुछ पदों हेतु लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार की व्यवस्था वर्णित है तथा कुछ पदों के पदोन्नती हेतु लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार का उल्लेख नहीं है। उक्त स्थिति में पदोन्नती में पारदर्शिता एवं एकरूपता बनाये रखने हेतु ग्रेड पे 5400/- तक के कार्मिकों के पदोन्नती हेतु सभी पदों में कार्मिकों को नैसर्गिक न्याय के दृष्टिगत समान अवसर प्रदान करते हुए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार कराया जाना समीचीन होगा।
2. जिन पदों के स्ट्रीम में उपर का कोई पद सृजित नहीं है तथा ऐसे कर्मी जो खुली भर्ती से नियुक्त किये गये हैं, को ए.सी.पी. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन एवं साक्षात्कार के उपरान्त प्रदान किया जा सकता है। ऐसे कार्मिकों द्वारा 10 वर्ष की नियमित वेतनिक सेवा अवधि पूर्ण कर ली गयी हो तथा कार्मिक की पिछले 05 वर्ष की ए.सी.आर बहुत अच्छी (Very Good) अथवा ऊपर हो।
3. उपर्युक्त पदोन्नति किये जाने वाले 5400/-ग्रेड-पे तक के कार्मिकों की सत्यनिष्ठा एवं कार्य आचरण की संतोषजनक संस्तुति वित्त अधिकारी एवं उप-कुलसचिव द्वारा संयुक्त रूप से समीक्षा कर संस्तुति की जाए एवं तदोपरांत कुलसचिव द्वारा पुर्नसमीक्षा किया जायेगा, जिसके उपरांत पदोन्नति हेतु लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्रतिभाग कराया जाना समीचीन होगा।
4. ग्रेड पे 6600/- एवं 7600/-के कार्मिकों की सत्यनिष्ठा एवं कार्य आचरण की संतोषजनक समीक्षा संस्तुति संयुक्त रूप से कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी द्वारा की जायेगी एवं तदोपरांत मा0 कुलपति द्वारा पुर्नसमीक्षा किया जायेगा, जिसके उपरांत पदोन्नति एवं ए.सी.पी हेतु साक्षात्कार में प्रतिभाग कराया जाना समीचीन होगा।

   विश्वविद्यालय में अद्यतन कार्यरत ऐसे कार्मिकों द्वारा 10वर्ष की नियमित वेतनिक सेवा अवधि पूर्ण कर ली गयी हो तथा कार्मिक की पिछले 05 वर्ष की ए.सी.आर बहुत अच्छी (Very Good) अथवा ऊपर हो।
5. ग्रेड पे 5400 तक के कर्मियों के पदोन्नति एवं ए.सी.पी की अर्हता पूरी करने वाले कर्मियों के कुलसचिव की अध्यक्षता में जिसमें कुलपति द्वारा नामित सदस्य भी होगा तथा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार कराये जाने के उपरांत सफल कर्मियों को तदनुसार पदोन्नति/ए.सी.पी. पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत किये जायें। उपरोक्त समिति में एस.सी/एस.टी एवं ओ.बी.सी. वर्ग का प्रतिनिधित्व हो।
6. ग्रेड पे 6600/- एवं 7600/- के कर्मियों के पदोन्नति/ए.सी.पी. की अर्हता पूरी करने वाले कर्मियों के कुलपति की अध्यक्षता में समिति द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार कराये जाने के उपरांत सफल कर्मियों को तदनुसार पदोन्नति/ए.सी.पी. पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत किये जायें। उपरोक्त समिति में एस.सी/एस.टी. एवं ओ.बी.सी. वर्ग का प्रतिनिधित्व हो।

उपर्युक्त प्रेषित समिति की संस्तुतियों को विश्वविद्यालय प्रबन्ध बोर्ड की 36वीं बैठक दिनांक 15.01.2024 को मद संख्या-36.15.08 में अनुमोदन प्रदान किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

Declaration/घोषणा पत्र

(Annexure-2)

सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (A.C.P)/पदोन्नती हेतु मेरे द्वारा प्रस्तुत सूचना निम्नानुसार हैः–

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. पदनाम ....
4. ग्रेड पे ....
5. जन्म तिथि ....
6. विभाग का नाम ....
7. नियुक्ति की तिथि ....
8. नियुक्ति के समय शैक्षिक योग्यता ....
9. नियुक्ति के उपरान्त धारण की गयी अन्य योग्यता (यदि कोई हो) ....
10. पिछ्ले 05 वर्षो में किन–किन विभागों में सेवायें दी गयीं तथा सम्पादित किये गये कार्यो का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 200 शब्दों में उल्लेख करें ....
....
....
....
11. गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय/किसी न्यायालय/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा अधिरोपित दण्ड अथवा प्रतिकूल प्रविष्टि का उल्लेख (यदि कोई हो) ....
12. स्थायी पता ....
13. वर्तमान पता ....
14. ईमेल ....
15. दूरभाष नं0 ....

हस्ताक्षर

घोषणा

यह कि उपरोक्त दी गयी सूचना/कथन पूर्ण स्वस्थ मानसिक स्थिति/चित्त में पूर्ण रूप से सोच समझकर दी जा रही है। उपरोक्त दी गयी सूचना में यदि कोई कथन असत्य पाया जाता है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होउँगा/होउँगी।

हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner